

पारिवारिक एवं संस्थागत परिवेश का किशोरों के जीवन मूल्यों पर प्रभाव

Shree Krishna Jangid^{1*} Dr. Akhilesh Joshi²

¹ Research Scholar, Govind Guru Tribal University, Banswara, Rajasthan

² Research Director, Govind Guru Tribal University, Banswara, Rajasthan

सार – पिछले दो या तीन दशकों में, दुनिया भर की सरकारों ने – भारत सहित-शिक्षा के सभी क्षेत्रों में लिंग संबंधी और सामाजिक पक्षपातों को संबोधित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा की है। इस अवधि में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में और उसे शिक्षकों द्वारा कैसे प्रदान किया जा सकता है उसमें आमूल-चूल परिवर्तन हुए हैं। बदलते रुझानों को निम्न प्रकार से संक्षेप में सारांशित किया जा सकता है:

- असमताओं को दूर करने पर अधिक जोर
- सभी के लिए न्यायोचित शिक्षा
- बच्चे पर केंद्रित, जरूरत पर आधारित शिक्षा
- सीखने की प्रक्रिया में हर बच्चे की प्रतिभागिता को अधिकाधिक करना।

ये रुझान प्रमुख भारतीय नीति दस्तावेजों में प्रतिबिंबित हैं, जिनमें शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति (एनपीई, 1986), द नेशनल करिकुलम फॉर एलीमेंटरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन (1988), और द रिवाइज्ड एनपीई एंड प्रोग्राम फॉर एक्शन (1992) इत्यादि शामिल हैं।

-----X-----

भूमिका

लगभग 20 मिलियन बच्चे, भारत में अपनी आबादी का करीब 4% और दिल्ली में रहने वाले लोगों की तुलना में अधिक, अनाथ हैं। उनमें से, केवल 0.3% बच्चों के माता-पिता की मृत्यु हो गई है और बाकी को छोड़ दिया गया है।

यह आंकड़ा एस ओ एस चिल्ड्रन विलेज द्वारा किए गए एक अध्ययन का परिणाम है, वर्ष 2005-06 के लिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण -3 से आंकड़ों का विश्लेषण करके और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए अंधेरे स्थानों को खोजने के लिए भारत की जनगणना द्वारा जनसंख्या अनुमान इंडिया।

यह उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे गरीब राज्य थे, जिनमें भारत के अमीर उत्तरी और दक्षिणी राज्यों की

तुलना में अनाथ बच्चों की संख्या अधिक थी। नतीजतन, मध्य क्षेत्र में अनाथ बच्चों की सबसे बड़ी संख्या है, जिसके बाद पूर्वी ज़ोन का स्थान है। दो क्षेत्रों में भारत के ज्यादातर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। गैर सरकारी संगठन एस.ओ.एस. चिल्ड्रन विलेज के महासचिव राकेश जिंशी ने कहा, "इन राज्यों में उच्च अनाथ बच्चों में गरीबी में महत्वपूर्ण योगदान रहा है।" "सामाजिक अशांति और आतंक – आतंकवाद और नक्सलवाद – कुछ राज्यों में अनाथों की उच्च संख्या के पीछे दो प्रमुख कारक हैं।"

अध्ययन के लिए अनाथ बच्चों को उन लोगों के रूप में परिभाषित किया गया था जिनके माता-पिता की मृत्यु हो गई है। अध्ययन में एकल माता-पिता के बच्चों की स्थिति का भी विश्लेषण किया गया है।

भारत में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की सबसे अधिक आबादी है – कुल आबादी का 41%। हालांकि उनमें से 4% से अधिक अध्ययन के अनुसार अनाथ हैं, उनमें से लगभग 13% उनके माता-पिता के साथ रहते हैं। परन्तु इस अध्ययन से यह पता चलता है कि भारत में बड़ी संख्या में बच्चों को शिक्षा और अन्य कल्याणकारी उपायों तक पहुंचने के लिए अकेले छोड़ने के लिए संघर्ष करना है। इनमें से कुछ बच्चों को अनैतिक कामों में तस्करी या धक्का दिया जा रहा है एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, "तमाम ऐसे बच्चों को तस्करी कर रहे हैं जिनके माता-पिता की मृत्यु हो गई है या उन्हें छोड़ दिया गया है।"

एकमात्र अच्छी खबर यह है कि अध्ययन में यह बताया गया है कि साल में उम्रके अनाथ बच्चों का कुल अनुमान 2021 तक गिरने की उम्मीद है, हालांकि उनकी संख्या 20 मिलियन से बढ़कर 24 मिलियन हो जाएगी। हालांकि, यह इंगित करने के लिए कोई तुलनात्मक डेटा नहीं है कि क्या अनाथ बच्चों की संख्या में वृद्धि या कमी हुई है।

लगभग 20 मिलियन बच्चे, भारत में अपनी आबादी का करीब 4% और दिल्ली में रहने वाले लोगों की तुलना में अधिक, अनाथ हैं। उनमें से, केवल 0.3% बच्चों के माता-पिता की मृत्यु हो गई है और बाकी को छोड़ दिया गया है।

यह आंकड़ा एसओएस चिल्ड्रन विलेज द्वारा किए गए एक अध्ययन का परिणाम है, वर्ष 2005-06 के लिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण -3 से आंकड़ों का विश्लेषण करके और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए अंधेरे स्थानों को खोजने के लिए भारत की जनगणना द्वारा जनसंख्या अनुमान इंडिया।

यह उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे गरीब राज्य थे, जिनमें भारत के अमीर उत्तरी और दक्षिणी राज्यों की तुलना में अनाथ बच्चों की संख्या अधिक थी। नतीजतन, मध्य क्षेत्र में अनाथ बच्चों की सबसे बड़ी संख्या है, जिसके बाद पूर्वी ज़ोन का स्थान है। दो क्षेत्रों में भारत के ज्यादातर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है।

गैर सरकारी संगठन एसओएस चिल्ड्रन विलेज के महासचिव राकेश जिंशी ने कहा, "इन राज्यों में उच्च अनाथ बच्चों में गरीबी में महत्वपूर्ण योगदान रहा है।" "सामाजिक अशांति और आतंक – आतंकवाद और नक्सलवाद – कुछ राज्यों में अनाथों की उच्च संख्या के पीछे दो प्रमुख कारक हैं।"

अध्ययन के लिए अनाथ बच्चों को उन लोगों के रूप में परिभाषित किया गया था जिनके माता-पिता की मृत्यु हो गई है। अध्ययन में एकल माता-पिता के बच्चों की स्थिति का भी विश्लेषण किया गया है।

भारत में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की सबसे अधिक आबादी है – कुल आबादी का 41%। हालांकि उनमें से 4% से अधिक अध्ययन के अनुसार अनाथ हैं, उनमें से लगभग 13% उनके माता-पिता के साथ रहते हैं।

परन्तु इस अध्ययन से यह पता चलता है कि भारत में बड़ी संख्या में बच्चों को शिक्षा और अन्य कल्याणकारी उपायों तक पहुंचने के लिए अकेले छोड़ने के लिए संघर्ष करना है। इनमें से कुछ बच्चों को अनैतिक कामों में तस्करी या धक्का दिया जा रहा है

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, "तमाम ऐसे बच्चों को तस्करी कर रहे हैं जिनके माता-पिता की मृत्यु हो गई है या उन्हें छोड़ दिया गया है।"

एकमात्र अच्छी खबर यह है कि अध्ययन में यह बताया गया है कि साल में उम्र के अनाथ बच्चों का कुल अनुमान 2021 तक गिरने की उम्मीद है, हालांकि उनकी संख्या 20 मिलियन से बढ़कर 24 मिलियन हो जाएगी। हालांकि, यह इंगित करने के लिए कोई तुलनात्मक डेटा नहीं है कि क्या अनाथ बच्चों की संख्या में वृद्धि या कमी हुई है।

अभी हाल ही में, 2005 के राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफ) ने एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान किया है, जिसमें सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा प्रदान करने के तरीके शामिल किए गए हैं। वह शिक्षकों द्वारा निम्नलिखित कामों को करने की जरूरत को स्पष्ट करती है:

- हर बच्चे की अनोखी जरूरतों के प्रति संवेदनशील होना
- बच्चे पर केंद्रित, सामाजिक रूप से प्रासंगिक और न्यायोचित पढ़ाने/सीखने की प्रक्रिया प्रदान करना
- उनके सामाजिक और सांस्कृतिक सन्दर्भों में विविधता को समझना।

आज कोई भी शिक्षक छात्रों द्वारा अपने साथ विद्यालयों में लाई जा रही असंख्य माँगों और अपेक्षाओं की समझ या उनके प्रति संवेदी हुए बिना व्यावसायिक रूप से सफल नहीं हो

सकता है। उन्हें, वर्ग, जाति, धर्म, लिंग और निःशक्तता पर ध्यान दिए बिना सभी छात्रों को संलग्न करने और सीखने के सार्थक अवसर प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 (RtE) लिंग और सामाजिक श्रेणी पर ध्यान दिए बिना सभी छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के इस निर्णय को अधिक मजबूत और सुदृढ़ करता है, जिसके लिए उसमें शारीरिक और सीखने के पर्यावरणों, पाठ्यचर्या, और अध्यापन प्रथाओं से संबंधित विस्तृत स्वीकार योग्य नियम निर्धारित किए गए हैं।

उल्लेखनीय परिमाण में शोध द्वारा पुष्टि की गई है कि शिक्षकों के कौशल, रवैये और प्रोत्साहन सुविधाहीन और अधिकारहीन समुदायों के बच्चों की संलिप्तता, प्रतिभागिता और उपलब्धि उल्लेखनीय ढंग से बढ़ा सकते हैं। समावेशी विद्यालय कक्षा में शिक्षकों द्वारा न्यायोचित शिक्षा प्रदान करने में विद्यालय नेता की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहले, यह आवश्यक है कि विद्यालय नेता:

- को विश्वास हो कि नतीजे न्यायोचित हो सकते हैं, उनके छात्रों के व्यक्तिगत प्रारंभिक बिंदु चाहे कुछ भी हों
- स्टाफ और छात्रों को सभी छात्रों की उपलब्धि को ऊपर उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है
- छात्रों की सफलता को उनकी शैक्षणिक उपलब्धि से अधिक आधार पर मापता है।

एक विद्यालय नेता के रूप में, आपको बच्चे के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर (1989) से अवगत होना चाहिए जो हर एक सदस्य देश को अपने सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का आदेश देकर विविधता को अपनाने की उल्लेखनीय प्रेरणा देता है। विद्यालय नेता के रूप में अपने विद्यालय के समुदाय में समावेशी रवैयों और बर्तावों का नेतृत्व करना, उन्हें प्रोत्साहित करना और विकसित करना आपकी जिम्मेदारी है।

इस इकाई में काम करते समय आपसे अपनी सीखने की डायरी में नोट्स बनाने को कहा जाएगा। यह डायरी एक किताब या फोल्डर है जहाँ आप अपने विचारों और योजनाओं को एकत्र करके रखते हैं। संभवतः आपने अपनी डायरी शुरू कर भी ली है।

इस इकाई में आप अकेले काम कर सकते हैं, लेकिन यदि आप अपने सीखने की चर्चा किसी अन्य विद्यालय नेता के साथ कर सकें तो आप और भी अधिक सीखेंगे। यह आपका कोई सहकर्मी, जिसके साथ आप पहले से सहयोग करते आए हैं, या

कोई व्यक्ति हो सकता है जिसके साथ आप नए संबंध का निर्माण कर सकते हैं। इसे नियोजित ढंग से या अधिक अनौपचारिक आधार पर किया जा सकता है। आपकी सीखने की डायरी में बनाए गए आपके नोट्स इस प्रकार की बैठकों के लिए उपयोगी होंगे, और साथ ही आपकी दीर्घावधि की शिक्षण-प्रक्रिया और विकास का प्रतिचित्रण भी करेंगे।

इस इकाई से विद्यालय नेता क्या सीख सकते हैं

- अपने स्टाफ के साथ विविधता, समानता और समावेश की साझा समझ विकसित करना।
- अपने सभी छात्रों के लिए सीखने के नतीजों के लिए कार्यवाहियों को प्राथमिकता देना।
- अपने विद्यालय में सुविधाहीनता या बहिष्करण को संबोधित करने वाली कार्यवाहियों की योजना बनाना और उसे निष्पादित करने के लिए अन्य लोगों के साथ सहयोग करना।
- आपके हस्तक्षेपों के प्रभाव का मूल्यांकन करने का महत्व।

नेतृत्व के माध्यम से समानता और समावेश को प्रोत्साहित करना

यह बात खुशी मनाने और गर्व करने का विषय है कि भारत की आबादी इतनी असमान है। 'असमान' शब्द का अर्थ है 'ढेर सारी विविधता दर्शाना' या 'बहुत अलग होना'। विविधता न केवल जीवन में दिलचस्पी लाती है, बल्कि जटिल और परिवर्तनशील विश्व में अनेक समाधान और संभावनाएं भी पेश करती हैं।

विद्यालय की विविधता कई कारकों से संबंधित हो सकती है जैसे भाषा, नस्ल, लिंग, जाति, वर्ग, आय स्तर, शारीरिक क्षमताएं, आवास, उम्र या पहले की गई पढ़ाई। कक्षा में भर्ती होते समय किन्हीं भी दो छात्रों के प्रारंभ बिंदु एक समान नहीं होते हैं, और न ही सीखने के तरीके या पाठ्यचर्या के साथ संबंध समान होते हैं। वह शिक्षक जो अलग अलग पृष्ठभूमियों, संस्कृति और अनुभवों को समझता और मान देता है, उसके छात्रों को सीखने की ऐसी प्रक्रिया में संलिप्त करने की अधिक संभावना है जो उनमें से प्रत्येक के लिए सार्थक है।

एनसीएफ में एनपीई से यह उद्धृत किया गया है:

समानता को प्रोत्साहित करने के लिए, सभी को, न केवल सुलभता में बल्कि सफलता की अवस्थाओं में भी, समान अवसर प्रदान करना आवश्यक होगा। इसके अलावा, सभी की अन्तर्निहित समानता की जागरूकता का निर्माण मूल पाठ्यचर्या के माध्यम से किया जाएगा। इसका प्रयोजन सामाजिक पर्यावरण और जन्म के संयोग के माध्यम से संचारित पूर्वग्रहों और पेचीदगियों को दूर करना है।

इस नीति की भाषा को आपके विद्यालय और कक्षाओं के परिवेश में अंतरित करना कठिन हो सकता है। इसलिए, यह विद्यालय नेता का दायित्व है कि वह विविधता, समानता और समावेश से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए अपने स्टाफ और वृहत् विद्यालय समुदाय की मदद करे। इसके लिए तीन प्रारंभिक कदम उठाने की जरूरत पड़ सकती है:

- सुनिश्चित करना कि सभी शिक्षक और वृहत् विद्यालय समुदाय विद्यालय के सन्दर्भ के भीतर विविधता, समानता और समावेश के मुद्दों को समझें। इसमें यह जानना शामिल है कि इसके छात्रों के नतीजों और उनके व्यवसाय पर हो सकने वाले परिणाम क्या हैं।
- असमानता या बहिष्करण के मुद्दों को संबोधित करने के लिए हस्तक्षेपों या कार्यवाहियों की सहयोगात्मक रूप से योजना बनाना और उनका निष्पादन करना। यह समझना कि उनकी अपनी अध्यापन परिपाटियों और/या सीखने के अवसरों को बदलने की कार्यवाहियाँ कैसे अंतर पैदा कर सकती हैं।
- यह समझना कि पढ़ाने, सीखने या ग्राम्य सहायता में बदलावों की कैसे निगरानी करके यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उनका छात्रों के सीखने की प्रक्रिया पर सकारात्मक प्रभाव हो।

निष्कर्ष

यदि आपने इकाई अपने विद्यालय को सुधारने के लिए विविधता पर डेटा का उपयोग करना पढ़ी है, तो आपने पहले से ही इस बारे में सोच लिया होगा कि आपके विद्यालय के सन्दर्भ के भीतर डेटा कैसे विविधता के मुद्दों को स्पष्ट कर सकता है, और आपके विद्यालय के लिए प्राथमिकता क्षेत्र विकसित करने लगे होंगे। जो डेटा आपने एकत्र किया है और जो प्राथमिकता क्षेत्र आपने पहचाने हैं, वे यह समझने के लिए महत्वपूर्ण होंगे

कि आपके स्टाफ को उनकी अध्यापन प्रथाओं में अधिक समावेशी होने के लिए कैसे प्रेरित किया जाय।

सन्दर्भ

<https://www.jansatta.com/duniya-mere-aage/price-of-life-school-ncert-books/49913/>

<https://www.open.edu/openlearncreate/mod/oucontent/view.php?id=80258&printable=1>

Corresponding Author

Shree Krishna Jangid*

Research Scholar, Govind Guru Tribal University,
Banswara, Rajasthan